(वाद सं0–1469/15)

10.10.2019

परिवादी, शैलेन्द्र सिंह तरकर, उपस्थित हैं।

दिनांक 19.08.2019 के आदेश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना की ओर से सहायक श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, श्री रोहित राज सिंह उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

प्रसंगाधीन मामला बाल श्रम उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित परियोजना, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना NCLP के तत्वावधान में संचालित, विशेष बालश्रम विद्यालय का खगड़िया जिला सहित बिहार के समस्त जिलों में कार्यरत नहीं होने से संबंधित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के NCLP का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा राज्य सरकार उक्त परियोजना का अनुश्रवण करती है। उपस्थित सहायक श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री रोहित राज सिंह द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि खगड़िया जिला में मार्च, 2007 से मार्च, 2010 तक 20 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कुल 54 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन किया गया जिसमें जून, 2009 से मार्च, 2010 तक बाल श्रमिकों की छात्रवृत्ति मद में कुल 32,40,000/– रु0, पोषाहार मद में 42,10,000/–रु0, कार्यालय व्यय एवं आकस्मिक व्यय मद में 6,48,000/–रु0 तथा विशेष विद्यालयों के कर्मियों के मानदेय मद में 43,41,600/– रुपये बकाया है। NCLP Guideline के अनुसार बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 4,00000/–रुपये उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण खगड़िया जिला में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कार्य नहीं कराया गया। लेकिन उनके प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि खगड़िया जिला में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना समिति के खाते में अभी भी 3,55,000/–रुपये अवशेष पड़ा हुआ है। सहायक श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित NCLP के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालय बिहार राज्य में जमुई जिला को छोड़कर अन्य किसी भी जिले में कार्यरत नहीं है।

उपस्थित परिवादी द्वारा यह सूचित किया गया कि उनकी ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत NCLP के खगड़िया जिला सहित बिहार के अन्य जिलों में क्रियान्वयन के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सूचना की माँग की गयी।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उन्हें यह सूचित किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार के प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग को तीन बार अर्द्धसरकारी पत्रों द्वारा उपरोक्त परियोजना के बिहार राज्य में कार्यान्वयन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया है। अपने अर्द्धसरकारी पत्रांक Z-16012/1/2016-CL, दिनांक 23.02.2018 द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव द्वारा प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना से यह अनुरोध किया गया कि NCLP परियोजना के लाभान्वितों की सूची, उनके आधार संख्या तथा बैंक खाता संख्या के साथ PFMS PORTAL पर यथाशीघ्र अपलोड कर दिया जाय जिससे कि सभी लाभान्वितों तथा इस परियोजना में कार्यरत कर्मियों के मानदेय का DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि राज्य सरकार के द्वारा उक्त पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा NCLP के बिहार राज्य में सफल क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गयी।

आयोग द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

आयोग में उपस्थित श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिनिधि, सहायक श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री रोहित राज सिंह को केन्द्र सरकार के उपरोक्त तीनों अर्द्धसरकारी पत्रों की प्रतिलिपि आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, जो कि NCLP का राज्यस्तरीय नोडल विभाग है, के प्रधान सचिव से अनुरोध है कि दिनांक 06.02.2020 के पूर्व NCLP के खगड़िया जिला सहित बिहार के प्रत्येक जिलों में NCLP Guideline के अनुसार क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करें।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेज दी जाय।

आज उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई हेतु उपरोक्त निश्चित तिथि को श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की ओर से मामले के जानकार प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

परिवादी अगर चाहें तो वह भी अगली निश्चित तिथि को उपस्थित रह सकते हैं।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक 06.02.2020 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक